रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266076
CG-DL-E-11092025-266076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947
No. 571] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 615(अ).— केन्द्रीय सरकार, बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की उपधारा 2 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) तथा धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "तकनीकी सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है।

3. अध्यक्ष, पदेन- भारत सरकार का सचिव जो केन्द्रीय सरकार के विभाग का भारसाधक है, जिसके पास बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार पदेन अध्यक्ष होंगे।

4. सदस्य-सचिव, पदेन: तकनीकी सलाहकार, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड(घ) के अनुसारपदेन सदस्य-सचिव होगा।

5. अन्य सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति (i) बॉयलरों के निरीक्षण और परीक्षण से सुपरिचित एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (ख) के अनुसार प्रत्येक राज्य (संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न) की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपरोक्त उप नियम (i) में नामर्निदिष्ट समान संख्या में अन्य सदस्यों को अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (ग) के अनुसार निम्नलिखित रीति से नामर्निदिष्ट किया जाए:-

(क) भारी उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(ख) इस्पात मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए:

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(घ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जिसे विद्युत मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(छ) भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जिसे उस ब्यूरो के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(ज) संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जिसे गृह मंत्रालय के परामर्श से नामर्निदिष्ट किया जाए;

(झ) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) या एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) से एक सदस्य;

(ञ) बॉयलर्स विनिर्माता संगम से एक सदस्य;

(ट) बॉयलर घटक निर्माता संघ से एक सदस्य;

(ठ) बॉयलर और बॉयलर घटक विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य:

(ड) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य;

(ढ) इंजीनियरिंग परामर्श संगठनों या निरीक्षण एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य;

(ण) बॉयलर उपयोगकर्ता उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य; और,

(त) किसी अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच से अनधिक ऐसे सदस्य, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

6. नामर्निदिष्ट सदस्यों की कार्य अवधि- (1) नियम 5 के अधीन नामर्निदिष्ट प्रत्येक सदस्य साधारणतया केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के गठन हेतु अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न किया जाए।

(2) कोई नामर्निदिष्ट सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

[फा. सं. पी-30015/1/2025-बॉयलर]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2025

G.S.R. 615(E).— In exercise of the powers conferred by section 39 read with clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section 2 and sub-section (3) of section 3 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025) and in supersession of the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);

(b) "Board" means the Central Boilers Board constituted under section 3 of the Act;

(c) "Technical Adviser" means the Technical Adviser appointed under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(d) "member" means a member of the Board.

3. Chairperson, ex officio. – The Secretary to the Government of India incharge of the Department of the Central Government having administrative control of the Board shall be the Chairperson, ex officio as per clause (a) of the sub-section (2) of section 3 of the Act.

4. Member-Secretary, ex officio. – The Technical Advisor shall be the Member- Secretary, ex officio as per clause (d) of the sub-section (2) of section 3 of the Act.

5. Manner of nomination of other members. – (i) a senior technical officer conversant with the inspection and examination of boilers to be nominated by the Government of each State (other than Union territory) as per clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Act;

(ii) Equal number of other members nominated in sub-rule (i) above, shall be nominated as per clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Act in the following manner :-

(a) one member to represent Ministry of Heavy Industries to be nominated in consultation with that Ministry;

(b) one member to represent Ministry of Steel to be nominated in consultation with that Ministry;

(c) one member to represent Ministry of Petroleum and Natural Gas to be nominated in consultation with that Ministry;

(d) one member to represent Ministry of Labour and Employment to be nominated in consultation with that that Ministry;

(e) one member to represent Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to be nominated in consultation with that Ministry;

(f) one member to represent Central Electricity Authority to be nominated in consultation with Ministry of Power;

(g) one member to represent the Bureau of Indian Standards to be nominated in consultation with that Bureau;

(h) one member to represent Union territories to be nominated in consultation with Ministry of Home Affairs;

(i) one member from Confederation of Indian Industry or Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry or The Associated Chambers of Commerce and Industry of India;

(j) one member from Boilers Manufacturers Association;

(k) one member from Boiler components Manufacturers Association;

(l) four members to represent boilers and boiler components manufacturing industry;

(m) two members to represent National Laboratories;

(n) two members to represent Engineering Consultancy Organisations or Inspection Agencies;

(o) four members to represent boiler user industry; and,

(p) not more than five members to represent any other interest which, in the opinion of the Central Government, ought to be represented on the Board.

6. Term of office of nominated members. – (1) Every member nominated under rule 5 shall ordinarily hold office for a period of three years from the date of publication of the notification in the Official Gazette for constitution of the Central Boilers Board unless otherwise directed by the Central Government.

(2) A nominated member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

[F. No. P-30015/1/2025-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.11 16:17:00 +05'30'